

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम '26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

गायत्री देवी बनाम करणालींद

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 226/2021 प्रार्थना पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>26/11/2021</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गायत्री देवी</u></p> <p>पत्नी श्री <u>नरेन्द्रसिंह जी पुरावत</u></p> <p>निवासी- <u>डगला का खेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>डगला का खेडा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....<u>74/557,</u> <u>(पम्. धारतकला)</u> <u>75/555</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> कुल रकबा <u>0.2660</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>डगला का खेडा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>74/557, 75/555</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> रकबा <u>0.2660</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500=00</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपए मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">l (श्याम सुन्दर बिशोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>

